न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—217/2024 दायर दिनांक 26.11.2024

जीसीएमएस आई0डी0ः—2024/564

1. राजूलाल उम्र 76 साल 2. महेशीलाल उम्र 64 साल 3. मुंशी उम्र 60 साल 4. बाबूलाल उम्र 59 साल पुत्र धर्मसिंह	पिसरान पुन्या	जाति गुर्जर निवासी नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0
5. सतवीर उम्र 42 साल पुत्र रंगी 6. उमराव सिंह उम्र 69 साल 7. जगदीश उम्र 66 साल	पिसरान जगराम	

——सायलान—07

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

——गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री राधेश्याम शर्मा वकील सायलान

2. पेरोकार सरकार गैरसायल

निर्णय दिनांकः—

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि साबिक खसरा न0 680/1 रकबा 11 बिस्वा वाके तन ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन में सायल स0 1 ता 3 के पिता व सायल स0 4, 5 के बाबा पून्या तथा सायल स0 6 व 7 के बाबा व मृतक सायल स0 8 हरप्रसाद के पिता नत्थु की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है। जिसका इन्द्राज जमाबंदी स0 2037 से 40 में दर्ज है। पून्या व नत्थु फौत हो चुका है। सायलान ही पून्या व नत्थु के जायज कानूनी मुकाम वारिस है। जो उनके तरके पर काबिज है।

साबिक खसरा न0 680/1 रकबा 11 बिस्वा के भू प्रबंध विभाग ने हाल खसरा न0 1376 रकबा 17 ऐयर कायम किया है। जो साबिक रकबा के मुकाबले करीब 3 ऐयर से ज्यादा दर्ज कर दिया तथा साबिक नक्शा के मुकाबलेहाल ट्रैस में भी बीच में एक रास्तानुमा लाईन बनाकर बडा कर दिया है। जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। जबकि मौके पर उक्त साबिक खसरा न0 680/1 रकबा 11 बिस्वा जो पहले था। वही मौके पर आज [illegible] बिस्वा का है। जिसका बजमाने बुजुर्गान से सायलान का कब्जा [illegible] चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:49:12 IST
Reason: SelfAttested

सायालान साबिक खसरा न0 680/1 रकबा 11 बिस्वा पास [illegible]चम दिशा की तरफ साबिक खसरा न0 681 रकबा 3 बिस्वा एक पगडंडीनुमा रास्ता था। जो

सायलान के साबिक खसरा न0 680/1 पश्चिम दिशा की डोल के चर पेटंवा था। जिसका उपयोग सायलान बजमाने बुजुर्गान व अन्य पास के लोग करते चले आ रहे है। साबिक खसरा न0 681 रकबा 3 बिस्वा का भू प्रबंध विभाग ने हाल खसरा न0 1375 रकबा 12 ऐयर दर्ज कर दिया। जो गत रकबा में करीब 8 ऐयर रकबा ज्यादा दर्ज कर दिया तथा साबिक ट्रैस के मुकाबले हाल ट्रैस बडा कर दिया। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग के साबिक रास्ता के बडा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

भू प्रबंध विभाग ने साबिक खसरा न0 681 रकबा 3 बिस्वा रास्ता का हाल खसरा न0 1375 रकबा 12 ऐयर दर्ज कर दिया, तथा हाल खसरा न0 ट्रैस में जो नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित सायलान की भूमि पर रास्ता बनाकर जबरन छीनना चाहता है। जिसका गैरसायल व अन्य दीगर लोगों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

सयलान की साबिक भूमि खसरा न0 680/1 रकबा 11 बिस्वा का हाल भू प्रबंध विभाग ने 3 ऐयर रकबा ज्यादा दर्ज कर सायलान की भूमि में हाल ट्रैस में लाईन बनाकर रास्तेनुमा कर रिकॉर्ड ऑफ राईटस की पवितत्रा को ही नष्ट कर दिया। जिसका भू प्रबंध विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

बाका दिनांक 20.1 .2024 को सुबह 9 बजे का है कि सायल स0 2 अपनी भूमि हाल खसरा न0 1375 की साल संभाल करने गया, तो मौके पर कुछ लोग हल्का पटवारी नौरंगाबाद से सायलान की खातेदारी की भूमि में पक्का रास्ता निकालने बाबत बराह बना रहे थे। तथा सायल स0 2 ने हल्का पटवारी से कहा कि यह मेरी खातेदारी की भूमि है। जिसमें सेटिलमेंट विभाग ने गलत तरीके से ट्रैस में लाईन खीचंकर रास्तानुमा बना दिया है। तब हल्का पटवारी ने कहा कि आप कोर्ट में दावा पेश करके दुरूस्त कराओं। इसलिये यह दावा व संबंधित प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। भू प्रबंध विभाग की उक्त गलती का नाजायज फायदा उठाकर गैरसयाल व अन्य दीगर लोगों ने रास्ता बना लिया व पक्का रास्ता निर्माण कर लिया तो सायलान की खातेदारी की भूमि और कम पड जायेगी। इसलिये गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनी न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसयाल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफेसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि सायलान की आराजी खसरा न0 1375 रकबा 12 ऐयर वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिसमे किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकालें। तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे। तथा उक्त भूमि में होकर अन्य दीगर लोगो को रास्ता निकालने से रोका जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर गैरसायल (पेरोकार सरकार) को नोटिस तलब किये गये। गैरसायल को जबाब के अनेक अवसर दिये गये । बाबजूद जबाव पेश नहीं होने पर गैरसायल का जबाब बंद किया गया।

सायलान ने प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 118, 1 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी, फोटो कॉपी नक्शा ट्रैस हाल, फोटो कॉपी जमाबंदी खतौनी संवत 2037–40, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, फोटो कॉपी नक्शा ट्रैस साबिक, नजरी नक्शा पेश किये।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौरान बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा कि गैरसयाल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफेसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि सायलान की आराजी खसरा न0 1375 रकबा 12 ऐयर वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिसमे किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकालें। तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे। तथा उक्त भूमि में होकर अन्य दीगर लोगो को रास्ता निकालने से रोकने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 118, 1 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी, फोटो कॉपी नक्शा ट्रैस हाल, फोटो कॉपी जमाबंदी खतौनी संवत 2037–40, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, फोटो कॉपी नक्शा ट्रैस साबिक, नजरी नक्शा में खसरा न0 1376 सायलान खातेदार काश्तकार हैं एवं खसरा न0 1375 गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड है। सायलान की दौरान दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested

बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार किया जाकर प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा न0 1375 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में साबिक रकबे के अनुसार बढे हुए 8 ऐयर रकबे से बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ताफैसला मूल दावे होने तक यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 3/6/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन 3/6/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested